निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 93/2020 दावा
दायरा दिनांक 18.08.2020
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

उनवान

1. रूकमणी बाई पुत्री छीतरलाल पत्नी पप्पूलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील बारां हालनिवासी चन्द्रेसल रोड गोपाल विहार रंगतालाब कोटा तहसील लाडपुरा।

बनाम

1. केदार बाई पत्नी छीतरलाल जाति बैरवा
2. बृजेन्द्र कुमार पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा
3. भूलीबाई पुत्री छीतरलाल जाति बैरवा
4. राजेश बाई पुत्री छीतरलाल जाति बैरवा
5. हरिशंकर पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील बारां
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां राज.

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, .आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री निर्भय सिंह– वादी
2. श्री राजेन्द्र सुमन – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम दुर्जनपुरा जिला बारां में आराजीयात वर्तमान खाता संख्या 220 की खसरा नंबर 236 रकबा 0.88 हेक्टेयर खसरा नंबर 315 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नंबर 466 रकबा 0.47 हेक्टेयर, खसरा नंबर 74 रकबा 1.00 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 2.37 हेक्टेयर स्थित है, जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है, एवं इसी प्रकार ग्राम कलमण्डा तहसील बारां मे आराजी खसरा नंबर 2061/745 रकबा 1.63 हेक्टेयर स्थित है, जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है। जो वादीया व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रूकमणी बाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/6 जाति बैरवा ग्राम देह दुर्जनपुरा के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

Scanned with CamScanner

द्वारका बाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/6 जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा खातेदार गलत दर्ज हो गया है। जबकि वादीया का वास्तविक नाम रूकमणी बाई पुत्री छीतरलाल पत्नी पप्पूलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा हालनिवासी चन्द्रेसल रोड गोपाल बिहार रंग तालाब कोटा है। जिसकी पुष्टि वादिया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, पहचान–पत्र एवं अन्य दस्तावेजात से होती है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रूकमणी बाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/6 खातेदार के स्थान पर द्वारका बाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/6 जाति बैरवा खातेदार गलत दर्ज होने से वादिया उक्त आराजीयात पर केसीसी बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है, तथा बैंक द्वारा वादिया का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि से मिलान न होने के कारण केसीसी बनवाने से साफ मना कर दिया, तथा साथ ही वादिया सरकारी योजना का लाभ नही उठा पा रही है। इस कारण वादीया को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए न्यायहित मे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादिया अपना नाम द्वारका बाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/6 खातेदार के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/6 दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादिया ने दिनांक 31.07.2020 को प्रतिवादी क्रम 6 के राजस्व कर्मचारियो से वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड मे द्वारका बाई के स्थान पर आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड के आधार पर रूकमणी बाई दर्ज करने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 6 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा मना करने पर दिनांक 31.07.2020 को बारां तहसील बारां मे अन्तिम बार वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकवाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीया का नाम रूकमणी बाई के स्थान पर द्वारका बाई दर्ज करने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना बताया है। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 598 पेश की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 220, नकल जमाबन्दी ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 67 पेश की गई। फोटो प्रति आधारकार्ड, रूकमणी बाई, फोटो पहचान–पत्र रूकमणीबाई, परिवार राशनकार्ड पप्पूलाल, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड रूकमणी बाई पेश की गई। साक्ष्य वादी मे रूकमणी बाई, केदार बाई, बृजेन्द्र कुमार, हरिशंकर, भूली बाई, राजेश बाई के शपथ–पत्र पेश किये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम दुर्जनपुरा एवं कलमण्डा मे स्थित है, जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा स्थित है। वादीया के पिता की मृत्यु होने के बाद फोती नामान्तकरण खोलते समय वादीया का नाम द्वारका बाई दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीया का वास्तविक नाम रूकमणी बाई है। वादीया के अन्य दस्तावेजात मे रूकमणी बाई दर्ज है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि वादीया को प्राप्त नही होती है। जिससे वादीया को आर्थिक परेशानियो का सामना करना पड रहा है। वादिया का राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र मे सही नाम रूकमणी दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में रूकमणी बाई के स्थान पर द्वारका बाई दर्ज कर दिया गया है, जिसे वादिया दुरस्त कराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible]

Scanned with CamScanner

के अधिकारी है। वादिया का नाम द्वारका बाई के स्थान पर रूकमणी बाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना बताया है। वादिया का नाम द्वारका बाई के स्थान पर रूकमणी बाई दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 220 के अनुसार वादिया का नाम द्वारका बाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/6 दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 598 के अनुसार वादिया का नाम द्वारका बाई पुत्री छीतरलाल हिस्सा 1/6 दर्ज है। फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति पहचान–पत्र, फोटो प्रति राशनकार्ड, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड वगैरा मे रूकमणी बाई दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 67 मे देवीलाल, छीतरलाल पुत्र भैरया जाति चमार सा. देह दर्ज है। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 12 से 17 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 17.05.2012 से मृतक छीतरलाल के स्थान पर वारिसान हरि ंकर, बृजेन्द्र कुमार पुत्र, द्वारकाबाई, भूलीबाई, राजेश बाई पुत्रियां, व केदार बाई बेवा का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। इससे यह साबित होता है, कि खातेदार छीतरलाल की मृत्यु के बाद फोती नामान्तकरण दर्ज करते समय वादीया का नाम द्वारका बाई दर्ज किया गया है। वादिया को नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो वादिया द्वारा नही की गई है। वादिया सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत कर राहज प्राप्त करें। वादिया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादिया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 93/2020	धारा अन्तर्गत 88,89 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 31.08.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री निर्भय सिंह	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री राजेन्द्र सुमन	

वाद शीर्षक

उनवान

रूकमणी बाई पुत्री छीतरलाल पत्नी पप्पूलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील बारां हालनिवासी चन्द्रेसल रोड गोपाल विहार रंगतालाब कोटा तहसील लाडपुरा।

बनाम

1. केदार बाई पत्नी छीतरलाल जाति बैरवा
2. बृजेन्द्र कुमार पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा
3. भूलीबाई पुत्री छीतरलाल जाति बैरवा
4. राजेश बाई पुत्री छीतरलाल जाति बैरवा
5. हरिशंकर पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील बारां
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां राज.

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही निर्णयानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 31.08.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner